

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 25.07.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 184वीं बैठक दिनांक 25.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
6.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
8.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
10.	प्रो० एच.एस.तिवारी	सदस्य
11.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
12.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
13.	प्रो० संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
14.	डॉ० बबिता माझी	सदस्य
15.	डॉ० पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ० एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो० भारती अहिरवार	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० एल.व्ही.के.एस. भास्कर	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता-छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में जीवन मूल्यों के महत्व को समझाया एवं सतत् रूप से सत्कर्म करने की आदत डालने की प्रेरणा दी। कुलपति महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 15.07.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 15.07.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 15.07.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 183वीं बैठक दिनांक 15.07.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।


A. Ranadive
25-07-2024



25/07/2024

- विषय क्र. 03. "Policy for Students' Welfare Schemes and its Fund Management" के अनुमोदन पर विचार।**
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि "Policy for Students' Welfare Schemes and its Fund Management" एवं इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विषय क्र. 04. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर विचार।**
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति की अनुशंसाओं एवं कार्यवृत्त दिनांक 21.06.2024 का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।
- विषय क्र. 05. अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग द्वारा NEP-2020 based Four Year UG Programme के पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित NEP-2020 based Four Year UG Programme पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।
- स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप हो।
- विषय क्र. 06. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गई CPF (भविष्य निधि) राशि के संबंध में।**
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से काटी गई CPF (भविष्य निधि) राशि के उचित निवेश एवं प्रबंधन हेतु समिति का गठन किया जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।
- विषय क्र. 07. अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, प्रोफेसरों एवं अधिकारियों की बैठक दिनांक 22-07-2024 के कार्यवृत्त पर विचार।**
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, प्रोफेसरों एवं अधिकारियों की बैठक दिनांक 22-07-2024 के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार फंड स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।
- विषय क्र. 08. अध्ययन मण्डल जैव प्रौद्योगिकी विभाग B.Sc. 04 Year Programme एवं M.Sc. 02 Year Programme के अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**
- निर्णय :- विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुशंसित B.Sc. 04 Year Programme एवं M.Sc. 02 Year Programme के पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।
- स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेशों के अनुरूप हो।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

- अ.अ.वि.क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष बालक छात्रावास के सीटों के आबंटन के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव पुनर्विचार हेतु मुख्य छात्रावास अधिका को लौटा दिया जाय।
- अ.अ.वि.क्र. 02 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष बालिका छात्रावास में प्रवेश के संबंध में दिशा-निर्देशों का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया जाय।
- अ.अ.वि.क्र. 03 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विधि विभाग के द्वारा नौवें एवं दसवें सेमेस्टर के एटीकेटी परीक्षा संबंधी विषय प्रस्तुत किया गया। विभाग ने यह प्रस्तावित किया है कि बी.ए. एल.एल.बी. तथा बी.कॉम. एल.एल.बी. के ऐसे विद्यार्थी जिनका नौवें एवं दसवें सेमेस्टर में एटीकेटी है उनके लिए एक सत्रान्त परीक्षा अन्य पाठ्यक्रमों की भांति करा लिया जाय। प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बी.ए.एल.एल.बी. तथा बी.कॉम. एल.एल.बी. के ऐसे विद्यार्थी जिनका नौवें अथवा दसवें सेमेस्टर में एटीकेटी आया हो ऐसे विद्यार्थियों के लिए सत्रान्त परीक्षा का आयोजन प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के जुलाई/अगस्त माह में आयोजित कराया जाय एवं यथाशीघ्र परिणामों की घोषणा की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष